दलप्रणाली (PARTY SYSTEM)

राजनीतिक दलों का महत्व

वर्तमान समय में शासन के विविध रूपों में प्रजातंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय है। और प्रजातंत्रीय शासन के दो प्रकार होते हैं —

1. प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और
2. अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र।

राज्यों के वृहत जनसंख्या और क्षेत्र की विशालता के कारण वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी राज्यों में अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था ही प्रचलित है। इस शासन - व्यवस्था के अन्तर्गत शासन जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और इन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन कार्य किया जाता है। मैकाइवर ने ठीक ही कहा है कि "बिना दलिय संगम के किसी सिद्धांत का एक होकर प्रकाशन नहीं हो सकता, किसी भी नीति का क्रमबद्ध विकास नहीं हो सकता, संसदीय उत्तरदायित्व की वैधानिक व्यवस्था नहीं हो सकती और न ऐसी मान्य संस्थाओं की व्यवस्था ही हो सकती है, जिनके द्वारा कोई भी दल शक्ति प्राप्त करता और स्थिर रखता है।" इसी प्रकार ब्राइस ने भी लिखा है कि "राजनीतिक दल अनिवार्य है और कोई भी

बड़ा स्वतंत्र देश उनके बिना नही रह सकता है। किसी व्यक्ति ने यह नही बताया कि प्रजातंत्र उनके बिना कैसे चल सकता है। ये मतदाताओं के समूह की अराजकता में से व्यवस्था उत्पन्न करते है। यदि दल कुछ बुराइयां उत्पन्न करते है तो वे दुसरी बुराइयों को कम तथा दूर भी करते है।

राजनीतिक दल की परिभाषा

मानव एक विवेकशील प्राणी है और मानव की इस विवेकशीलता के कारण एक ही प्रकार के समस्याओं के संबंध में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार से विचार किया जाता है।

एडमण्ड बर्क के मतानुसार — राजनीतिक ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो किसी ऐसे सिद्धांत के आधार पर जिसपर वे एकमत हो, अपने सामुहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता में बंधे होते है।"

गेटल के अनुसार — राजनीति दल न्यूनाधिक संगठित उन नागरिकों का समूह होता है जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते है और जिनका उद्देश्य अपने मतदान बल के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियंत्रण करना व अपनी ~~समान्य~~ सामान्य नीतियों को क्रियान्वित करना होता है"

राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व

एडमण्ड बर्क, गैटल, ~~[illegible]~~ आदि विद्वानों के

द्वारा राजनीतिक दल की जो परिभाषा दी गई है उसके आधार पर इन दलों के निम्नलिखित आवश्यक तत्व बताए जा सकते हैं—

1. संगठन — राजनीति दल का प्रथम आवश्यक तत्व यह है कि वे संगठित होने चाहिए। आधार पर समस्याओं के संबंध में एक प्रकार के विचार रखने वाले व्यक्ति जबतक संगठित न हो उस समय तक उन्हें राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता।

2. समान सिद्धांतों की एकता — राजनीतिक दल का संगठित स्वरूप इसी कार्य करना उसी समय संभव है जबकि राजनीतिक दल के सदस्य किसी सामान्य सिद्धांतों के संबंध में एक ही प्रकार का विचार रखते हो।

3. संवैधानिक साधनों में विश्वास — राजनीतिक दल के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी नीति या विचारों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए संवैधानिक मार्ग का अनुसरण करे।

4. शासन पर प्रभुत्व की इच्छा — राजनीतिक दल का एक तत्व यह होता है कि उनका उद्देश्य शासन पर प्रभुत्व स्थापित कर अपने विचारों और नीतियों को कार्यरूप में परिणत करना होता है।

5. राष्ट्रीय हित — राजनीतिक दल के लिए यह आवश्यक है कि उनके विशेष जाति धर्म या वर्ग के हित को दृष्टि में रखकर नहीं वरन् समूचे राष्ट्र के हित को दृष्टि में रखकर कार्य किया जाना चाहिए।